संख्या 45/6/2008-पीएण्डपीडब्ल्यू(एफ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)
*****

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली – 110003
दिनांक 7 दिसम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियमावली 1939 का संशोधन – सतत् परिचर भत्ता ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अपनी रिपोर्ट के पैरा 5.1.44 में छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 2.9.2008 को कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2008- पीएण्डपीडब्ल्यू(ए) द्वारा आदेश जारी किए गये थे कि:-

"ऐसे पेंशनभोगियों, जो 100 प्रतिशत अशक्तता (जहाँ व्यक्ति दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए पूर्णत: किसी अन्य पर निर्भर रहता है) के लिए केन्द्रीय सिविल सेवाएं (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अंतर्गत अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त हो गए, के मामले में, रक्षा बलों में विद्यमान परम्परा के अनुरुप अशक्तता पेंशन के अतिरिक्त 3,000/- रुपये प्रतिमाह का एक सतत् परिचर भत्ता दिया जाएगा ।"

2. इस विभाग के दिनांक 16 अप्रैल, 2009 के का0 ज्ञा0 में, सिविल पक्ष पर सतत् परिचर भत्ते की अदायगी के प्रावधानों को भी निर्धारित किया गया था ।

3. रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने दिनांक 4.5.2009 के अपने पत्र संख्या 16(6)/2008-(1)/डी(पेंशन/नीति) द्वारा हर बार संशोधित पे-बैंड पर देय महंगाई भत्तों में 50% तक बढ़ोत्तरी होने पर सतत् परिचर भत्ते की दरों को 25 प्रतिशत बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं ।

4. छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों, जैसा कि उनके पैरा 5.1.66 में यथानिहित है, के आधार पर, यह निर्णय लिया है कि सिविलियन कर्मचारियों को देय सतत् परिचर भत्ते की दरों को भी हर बार संशोधित पे-बैंड के 50 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हो जोने पर 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा ।

5. केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 में औपचारिक संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं ।

6. ये आदेश वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अनुमोदन से दिनांक 11.11.2009 के उनके यूओ संख्या 372/ईवी/09 द्वारा जारी किए जाते हैं ।

------2/-

7. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कार्मिकों पर उनकी अनुप्रयोज्यता में ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

(राज सिंह)
निदेशक

सेवा में,

मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

मानक पृष्ठांकित सूची के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, भारत का उच्चतम न्यायालय, सी0 एण्ड ए0 जी, यूपीएससी इत्यादि को प्रतिलिपि ।

(राज सिंह)
निदेशक